भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 2439

उत्तर देने की तारीखः 10.12.2024

वृद्धजनों के लिए योजनाओं की निगरानी

2439. श्री राम शिरोमणि वर्माः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में वृद्धजनों के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की निगरानी के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में उत्तर प्रदेश, विशेषकर श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों सहित जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने देश में उक्त योजनाओं के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश, विशेषकर श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अटल वयो अभ्युदय (एवीवाईएवाई) योजना लागू करता है। निम्नलिखित को सुनिश्चित करते हुए इस योजना की निगरानी की जाती है:

1. अनुदान सहायता जारी करने के लिए केवल एनजीओ द्वारा ई-अनुदान पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तावों पर विचार किया जाता है। इन प्रस्तावों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सिफारिशों और संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्टों तथा योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार से प्रस्तावों की पूर्णता के आधार पर विचार किया जाता है।

2. परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) की संतोषजनक निरीक्षण रिपोर्ट, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत सत्यापित लेखा विवरण और पिछले वर्ष जारी अनुदानों के उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही एनजीओ को अनुदान जारी किया जाता है।

3. विभाग के अधिकारियों और पीएमयू राज्य समन्वयकों द्वारा किए गए आकस्मिक आश्चर्य निरीक्षणों के माध्यम से एनजीओ के प्रदर्शन की समय-समय पर जांच की जाती है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

4. विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निधियों का उचित उपयोग करने के लिए समय-समय पर स्वतंत्र तृतीय पक्ष की मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा योजना का मूल्यांकन अध्ययन किया जाता है।

5. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निधियों की स्वीकृति राज्य कार्य योजना, एकल नोडल खाता (एसएनए) शेष के अनुसार की जाती है, निधियां जारी करने से पहले यह जांच की जाती है कि क्या उपयोग प्रमाण पत्र लंबित है। निधियों का वितरण किश्तों में किया जाता है।

(ग): पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अटल वयो अभ्युदय योजना के दो घटकों, अर्थात वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (एसएपीएसआरसी) और एकीकृत वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम (आईपीएसआरसी) के तहत जारी की गई निधियों का विवरण **अनुबंध-I और II** में दिया गया है।

(घ) और (ड.): यह विभाग उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में अटल वयो अभ्युदय योजना के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित कदम उठाता है। इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. जागरूकता सृजन: विभाग इस योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट, ई-अनुदान पोर्टल, सोशल मीडिया चैनल, क्षेत्रीय सम्मेलन और रेडियो चैनल सहित विभिन्न प्लेटफार्मों का उपयोग करता है।

2. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के साथ सहयोग: विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सहयोग करता है कि जिला/क्षेत्रीय स्तर पर योजनाओं का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन हो रहा है। योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं।

3. क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण: इस विभाग के तत्वावधान में क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केन्द्र (आरआरटीसी) वरिष्ठ नागरिक गृहों की दक्षता बढ़ाने के लिए डिजिटल, वित्तीय, सामाजिक सशक्तिकरण, जागरूकता सृजन आदि पर विभिन्न कार्यशालाएं और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण आयोजित करता है।

4. नियमित निगरानी और मूल्यांकन: इस विभाग ने योजनाओं की निगरानी के लिए परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) स्थापित की है। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नियमित मूल्यांकन/ तृतीय पक्ष मूल्यांकन किए जाते हैं।

अनुबंध-I

दिनांक 10.12.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2439 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

<u>एसएपीएसआरसी के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को जारी निधियां</u>

(राशि करोड़ रू. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25 (आज तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-
2	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-
4	असम	0.22	-	-	-
5	बिहार	-	7.58	-	-
6	चंडीगढ़	-	-	-	-
7	छत्तीसगढ़	-	-	1.55	-
8	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	-	-	-	-
9	गोवा	-	-	-	-
10	गुजरात	-	-	-	-
11	हरियाणा	-	-	-	-
12	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-
13	जम्मू और कश्मीर	-	1.5	-	-
14	झारखंड	-	-	-	-
15	कर्नाटक	-	-	-	-
16	केरल	-	-	0.56	-
17	लक्षद्वीप	-	-		-
18	लद्दाख	-	-	0.08	-
19	मध्य प्रदेश	-	-	1.3	-
20	महाराष्ट्र	-	-		-
21	मणिपुर	-	0.96	3.83	-
22	मेघालय	-			-
23	मिजोरम	-			-
24	नागालैंड	1.98	0.82	1.23	-
25	दिल्ली का एनसीटी	-	-		-
26	ओडिशा	-	-	0.18	-
27	पुदुचेरी	-	-	-	-

28	पंजाब	-	-	-	-
29	राजस्थान	-	-	-	-
30	सिक्किम	0.16	0.88	-	-
31	तमिलनाडु	-	-	0.15	-
32	तेलंगाना	-	-	3.78	-
33	त्रिपुरा	-	-	-	0.09
34	उत्तर प्रदेश	-	-	-	1.5
35	उत्तराखंड	-	-	-	0.106
36	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-
कुल		2.36	11.74	21.19	1.7

अनुबंध-II

दिनांक 10.12.2024 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2439 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आईपीएसआरसी के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को जारी निधियां

(राशि लाख रू. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25 (आज तक)
1	आंध्र प्रदेश	1259.01	1058.69	1663.32	367.68
2	बिहार	0	0	36.64	2.05
3	छत्तीसगढ़	46.37	27.36	118.61	60.89
4	गोवा	0	0	0	0
5	गुजरात	86.99	53.57	106.61	8.98
6	हरियाणा	241.81	169.86	244.1	42.71
7	हिमाचल प्रदेश	18.07	11.58	26.54	4.63
8	झारखंड	42.75	48.86	84.89	24.5
9	कर्नाटक	790.55	641.99	943.17	249.18
10	केरल	33.78	8.75	41.5	0
11	मध्य प्रदेश	175.45	152.62	261.3	99.35
12	महाराष्ट्र	585.86	527.39	963.3	255.97
13	ओडिशा	1484.26	1090.01	1649.53	471.16
14	पंजाब	6.21	4.83	0	0
15	राजस्थान	296.24	121.95	355.49	32.38
16	तमिलनाडु	1428.56	1089.23	1563.32	405.63
17	तेलंगाना	302.58	166.71	509.27	75.37
18	उत्तर प्रदेश	754.51	623.66	797.25	217.13
19	उत्तराखंड	16.08	23.41	35.7	6.46
20	पश्चिम बंगाल	338.5	332.8	720.87	58.15
21	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
22	चंडीगढ़	0	0	0	0
23	दादरा नगर हवेली और दमन और दीव	0	0	0	0
24	लक्षद्वीप	0	0	0	0
25	दिल्ली	36.15	47.25	74.6	17.25
26	पुदुचेरी	41.16	33.96	69.67	8.78
27	अरुणाचल प्रदेश	15.58	0	8.25	
28	असम	696.15	609.32	710.05	158.46
29	जम्मू और कश्मीर	0	0	56.57	5.7

30	लद्दाख	0	0	0	0
31	मणिपुर	518.6	349.37	772.55	196.72
32	मेघालय	93.96	0	0	0
33	मिजोरम	0	0	0	3.35
34	नागालैंड	10.72	20.77	52.6	18.53
35	सिक्किम	0	0	0	0
36	त्रिपुरा	0	17.44	29.91	19.58
	कुल योग	**9319.9**	**7231.38**	**11895.61**	**2810.59**

<u>आईपीएसआरसी योजना के तहत श्रावस्ती जिला, उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक गृह के लिए 01 एनजीओ को जारी की गई निधियों का विवरण</u>

वर्ष	एनजीओ को जारी राशि (राशि रू. में)
2021-22	18,09,098
2022-23	21,94,520
2023-24	21,11,109
2024-25 (आज तक)	0.00

<u>आईपीएसआरसी योजना के तहत बुलंदशहर जिले में वरिष्ठ नागरिक गृह के लिए 01 एनजीओ को जारी की गई निधियों का विवरण</u>

वर्ष	एनजीओ को जारी निधियां (राशि रू. में)
2021-22	17,24,738
2022-23	20,65,770
2023-24	17,87,197
2024-25 (आज तक)	0.00

****